(c) what are the reasons that Government have made no progress in tackling bonded labour and the steps which are proposed to be taken to institute the urgent and necessary measures for the elimination of debt bondage?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) and (b) The convention No. 29 concerning forced labour was discussed by the Committee on Application of Standards at the 81st session of International Labour Conference held at Geneva in June, 1994. The Committee urged the Govenment to spare no efforts to institute the necessary measures for elimination of debt bondage.

(c) The Government have accorded the highest priority to total eradication of Bonded Labour System throughout the country and towards this end have been undertaking an all out campaign in concert with the State Governments. The bonded labour system has been abolished by law throughout the country under the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976. The State Governments have been advised to conduct periodic surveys for identification of Bonded Labourers. The identified bonded labourers are rehabiliated in a time bound manner through fixation of annual targets and close monitoring by the Government. Out of 2,51,424 bonded labourers identified and released as on 31-3-1993, about 6000 bonded labourers are still to be rehabilitated.

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्ति

42. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार कार्यालयों में एक जून, 1990, एक जून, 1991, एक जून, 1992, एक जून, 1993 और एक जून, 1994 को क्रमश: कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज थे ;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रतिवर्ष कितने व्यक्तियों को नौकरियां प्रदान की गयीं और इनमें से पुरुषों और महिलाओं की संख्या कितनी-कितनी थी ;

(ग) सरकार द्वारा देश में बेरोजगारी समाप्त करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (**नीचे देखिए**)

(ग) और (घ) आठवीं योजना की रोजगार नीति में सन् 2002 तक लगभग पूर्ण रोजगार स्थिति प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है।

आठवीं योजना में रोजगार पर विशेष बल दिया गया है तथा योजना में ऐसे सैक्टरों एवं सब-सैक्टरों और क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि सहित आर्थिक विकास की उच्च दर पर बल दिया गया है जिनमें उच्च रोजगार सम्भाव्यता है।

विवरण

चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या और उनमें से रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार में लगाये गये व्यक्तियों की संख्या

(हजार में)

वर्ष	चालू रजिस्टर*	नियुक्तियां**		
		पुरुष	महिला	योग
1990	33353.4	213.9	50.6	264.5
1991	34916.8	202.1	50.9	253.0
1992	36674.0	194.5	44.2	238.7
1993	36033.6	189.0	42.4	231.4
1994	35924.9	50.8	13.3	64.1

टिप्पणी— 1. यह अनिवार्य नहीं कि रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वाले सभी व्यक्ति बेरोजगार हों।

2. *चालू रजिस्टर आंकड़े 1990, 1991, 1992, तथा 1993 के दौरान प्रत्येक वर्ष 30 मई, के अनुसार तथा वर्ष 1994 के दौरान 30 अप्रैल के अनुसार स्थिति को दर्शाते हैं।

3. **1990, 1991, 1992 तथा 1993 के लिए नियुक्ति आंकड़े जनवरी—दिसम्बर की अवधि से तथा 1994 के आंकड़े जनवरी—अप्रैल से संबंधित हैं

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कुल संख्या

43. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी थी ;

(ख) 1 जून, 1991, 1 जून, 1992 और 1 जून, 1993 को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी ; और

(ग) सरकार द्वारा सरकारी सेवा में अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की जनगणना के अनुसार 21 मार्च, 1990 (नवीनतम उपलब्ध) को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या 41.15 लाख थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में किसी महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना नहीं है।

Recommendations of the Gurudas Das Gupta Committee report

44. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have considered all the major recommendations of the Gurudas Das Gupta